

>

Title : Need to provide sufficient quantity of wheat to Rajasthan under Public Distribution System.

प्रो. रासा सिंह रावत (अजमेर) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से केंद्रीय सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा कि राजस्थान राज्य को सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत आवश्यकतानुसार पूरा गेहूं उपलब्ध कराया जाए। मान्यवर, बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि राजस्थान के साथ सौतेला भेदभावपूर्ण व्यवहार करते हुए, गेहूं की मात्रा में भारी कटौती कर दी गयी है। राज्य में मौजूद एपीएल परिवारों में दस प्रतिशत परिवारों को भी गेहूं नहीं मिल पा रहा है। इसी तरह बीपीएल के रूप में राज्य में 25.66 लाख परिवार हैं, योजना के तहत उनके लिए भी पर्याप्त गेहूं केंद्र से नहीं मिल रहा है। अन्त्योदय अन्नपूर्णा योजना का इससे भी बुरा हाल है। सुप्रीम कोर्ट ने एपीएल, बीपीएल, अन्त्योदय, अन्नपूर्णा योजना के माध्यम से गरीबों को राशन सामग्री उपलब्ध कराने के लिए केंद्र सरकार को निर्देश दिए हुए हैं, लेकिन केंद्र सरकार सुप्रीम कोर्ट के आदेशों की भी धज्जियां उड़ा रही है और राजस्थान के साथ सौतेला व्यवहार कर रही है।

अतः मैं आपके माध्यम से केंद्र सरकार से कहना चाहूंगा कि राजस्थान को उसकी आवश्यकतानुसार एपीएल, बीपीएल परिवारों के लिए पूरा गेहूं उपलब्ध कराया जाए। मैं एक छोटी सी बात और कहना चाहूंगा। राज्य सरकार ने कई बार लिखा है, लेकिन उस पर कोई कार्यवाही नहीं की गयी। उसके द्वारा 13.86 लाख मीट्रिक टन और 1474 करोड़ रूपए की मांग की है, मगर केंद्र सरकार की ओर से इस पर कोई ध्यान नहीं दिया गया, इस कारण से गरीबों की मदद नहीं हो पा रही है।

महोदय, आपके माध्यम से पुनः सरकार का ध्यान आकर्षित करके अनुरोध है कि राजस्थान के उपभोक्ताओं के लिए, एपीएल, बीपीएल को गेहूं उपलब्ध कराया जाए।

इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात को समाप्त करता हूं।

श्री गिरधारी लाल भार्गव (जयपुर) : महोदय, यह राजस्थान प्रदेश का बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसलिए मेरा नाम भी इनके साथ जोड़ लिया जाए।

उपाध्यक्ष महोदय : इनका नाम एसोशिएट किया जाता cè[c107]।